

**DECLARATION UNDER SECTION 194C(6) OF THE INCOME-TAX ACT,1961**

No..... (To be provided by payee)

Date.....

From : (Name & address of the payee)

To : (Name & address of the payer)

-----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----

The freight/transport charges amounting to Rs..... for transportation of goods by goods carriages having Registration Number ..... may be paid or credited to my account without deduction of tax under section 194C of the Income-tax Act, 1961. I/We, ..... in the capacity of ..... hereby declare that I/We do not own more than ten goods carriage at any time during the period from 1<sup>st</sup> April ..... to ..... My Permanent Account Number (PAN) is ..... I hereby enclose a self-attested photocopy of my PAN card.

Place .....

Signature of the person making declaration

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी(6) के अर्न्तगत घोषणापत्र**

क्रमांक..... (प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जायगा)

दिनांक.....

प्रेषक : ( नाम व पता प्राप्तकर्ता )

सेवा में, ( नाम व पता भुगतानकर्ता )

-----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----

मैं घोषणा करता हूँ कि वित्तीय वर्ष .....-..... (1 अप्रैल ..... से 31 मार्च .....) में मेरे पास 10 से अधिक माल वाहन किसी भी समय नहीं है/थे मेरा पैन संख्या ..... है। मैं इस घोषणा पत्र के साथ स्वः प्रमाणित पैन कार्ड कि छाया प्रति लगा रहा हूँ।

पंजीकृत वाहन संख्या..... के द्वारा भेजे जा रहे माल का परिवहन/भाडा शुल्क रु0..... बनता है वह मुझे नगद अथवा मेरे खाते में आयकर अधिनियम 1961 कि धारा 194सी के अर्न्तगत टी0डी0एस0 काटे बिना अदा किया जाये।

स्थान.....

हस्ताक्षर ( घोषणाकर्ता )